

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2019

10/11-0425/2019 (गुवालेपर) (निगरानी-1012) 2019

देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह, निवासी-
मालनपुर, जिला भिण्ड (म.प्र.) कृषक ग्राम-
बिल्हेटी, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

— प्रार्थी

बनाम

1. मुनेन्द्र सिंह कांदिल पुत्र स्व. श्री अमर सिंह,
निवासी-राम नगर, मुरार, ग्वालियर
2. म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त
सुपावली, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थी

आवेदन क्रमांक 23-3-19
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 2-4-19 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
23-3-19

2/4/19

23/3/19

निगरानी अन्तर्गत 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
आदेश दिनांक 28/02/2019 पारित द्वारा अपर आयुक्त
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक
23/17-18, अपील।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-


निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यह कि, ग्राम बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर की भूमि सर्वे
क्रमांक किता 29 रकवा 10.130 हेक्टेयर के पूर्व भूमि स्वामी अमर सिंह
कांदिल पुत्र स्व. श्री चोखेलाल गुर्जर थे। अमर सिंह द्वारा अपने
जीवनकाल में दिनांक 06/05/2008 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा
प्रार्थी के हित में संपादित किया था। वसीयतकर्ता अमर सिंह का देहांत
दिनांक 28/07/2008 को होने के बाद वसीयतनामा दिनांक
06/05/2008 के अनुसार राजस्व रिकार्ड खसरा में नामांतरण किये
जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर आम इशतहार जारी
किये गये तथा मौजा पटवारी के प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं
तहसील न्यायालय द्वारा अमर सिंह का वसीयतनामा दिनांक 06/05/2008 के अनुसार राजस्व रिकार्ड खसरा में नामांतरण किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर आम इशतहार जारी किये गये तथा मौजा पटवारी के प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0425/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गौड़, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण वापिस करने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर वापिस किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>